**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1504**

**जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।**

**.....**

**नदी विनियमन क्षेत्र नीति**

**1504. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ड्राफ्ट नदी विनियमन क्षेत्र (आरआरजेड) नीति की वर्तमान स्थिति और इसे अंतिम रूप देने और कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा क्या है;

(ख) राज्य सरकारों, पर्यावरण विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों के इनपुट सहित ड्राफ्ट आरआरजेड नीति को विकसित करने में हितधारक परामर्श की सीमा क्या है;

(ग) नदी के बाढ़ क्षेत्रों में अतिक्रमण और प्रदूषण को रोकने के लिए नीति में क्या उपाय शामिल हैं;

(घ) आरआरजेड नियमों को लागू करने में राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की भूमिका क्या है; और

(ङ) मौजूदा प्रर्यावरण नियमों और नदी संरक्षण कार्यक्रमों के साथ आरआरजेड नीति को एकीकृत करने की क्या योजना है, यदि कोई हो है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी**

**(क) से (ङ):** नदी संरक्षण/विनियमन ज़ोन की पहचान करते हुए नदियों को विनियमित करने का प्राथमिक उद्देश्य, बाढ़ के मैदानों को संरक्षित करना और नदी के किनारों पर चलाए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर नियम लागू करना होता है। भूमि और जल, दोनों राज्य के विषय हैं, इसलिए यह मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मुख्य दायित्व है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाली नदियों के विनियमन के लिए सक्रिय कदम उठाएं।

भारत सरकार द्वारा गंगा बेसिन की नदियों/उपनदियों में प्रदूषण कम करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना द्वारा और देश में अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केंद्रीय प्रायोजित योजना द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके संपूरित किया जा रहा है।

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत एक ड्राफ्ट नदी विनियमन क्षेत्र (आरआरज़ेड) तैयार किया और इसे सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिनांक 08.01.2016 को परिचारित किया है। यह अधिसूचना, नदी संरक्षण क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित, सीमित और विनियमित करती है ताकि देश में नदी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं हैं।

भारत सरकार द्वारा राजपत्रित अधिसूचना एस.ओ. 1972 (ई) दिनांक 14.06.2019 द्वारा कार्य आवंटन नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार, नदी के विनियमन क्षेत्र (आरआरज़ेड) को विकसित करके बाढ़ के मैदानों सहित नदी तटों के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों को जारी करने से जुड़े कार्य को अब जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संभाला जा रहा है।

इस उद्देश्य से, केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने बाढ़ मैदान क्षेत्र के लिए तकनीकी दिशानिर्देश तैयार किए हैं और उन्हें राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को परिचारित किया है। जिससे कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और फल्ड प्लेन जोनिंग हेतु केंद्रीय सहायता एवं समर्थन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बाढ़ मैदान क्षेत्र के कार्य में प्रगति किए जाने पर निर्भर होती है।

*****